

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग जयपुर

क्रमांक:- SPL-1

दिनांक:- 30/03/2020

परिपत्र

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण लागू किये गए लोकडाउन को ध्यान में रखते हुए समस्त मत्स्य ठेकेदारों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जलाशयो पर कार्यरत समस्त मछुआ श्रमिकों के रहने-खाने कि व्यवस्था अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी दशा में श्रमिकों का पलायन नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मत्स्य कैम्प पर कोरोना से बचाव हेतु जारी किये गए निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कर आपस में 2 मीटर की दुरी बनाये रखेंगे एवं श्रमिकों को मास्क व सेनीटाईजर उपलब्ध करवायेंगे। किसी प्रकार की चिकित्सकीय आवश्यकता पड़ने पर अपने नजदीकी राजकीय अस्पताल में संपर्क कर सहायता प्राप्त करेंगे। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस हेतु अन्य कोई जानकारी विभाग के डॉ. सी. पी. जुयाल सहायक निदेशक मत्स्य (योजना) निदेशालय जयपुर (मोबाइल न. 9414406187) से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक